<u>बैंक के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों को समवर्ती लेखा परीक्षण/नॉन कोर बिजनेस (बी.सी. सुपरवाईजर/एन.पी.ए. सुपरवाईजर, फैकल्टी मेम्बर) हेतु सूचीबद्ध करने विषयक</u>

समवर्ती लेखा परीक्षण/नॉन कोर बिजनेस (बी.सी. सुपरवाईजर/एन.पी.ए. सुपरवाईजर, फैकल्टी मेम्बर) कार्य के लिये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक/अन्य बैंकों से सेवानिवृत्त हुये अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित है। आवेदन के लिये पात्रता मापदंड निम्नानुसार है-

1) बैंक से सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक/अन्य बैंकों की सेवा से दिनांक 31/10/2022 की तिथि पर अधिकारी वर्ग-2, अधिकारी वर्ग-3 एवं अधिकारी वर्ग-4 पद से अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हों एवं दिनांक 31/10/2022 को उनकी आयु 68 वर्ष से अधिक न हो। अधिकारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र जैसे कारणों से अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही सेवात्याग किया है, वे अधिकारी इस योजना हेतु पात्र नही होंगे।

2) अधिकारी के सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व के 5 वर्षो में उनके विरूद्ध दण्ड जारी न किये गए हों, अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध न हो एवं अधिकारी के विरूद्ध सीबीआई अथवा अन्य संस्था में जांच लंबित न हो।

3) सामान्यतः स्वस्थ एवं यात्रा आदि में सहज समर्थ हो ।

4) अधिकारी को कम से कम 5 वर्षो का ऋण से संबंधित कार्यो का अनुभव होना चाहिये। बैंक से क्षेत्रीय प्रबंधक, सतर्कता, विभागीय कार्यवाही विभाग अथवा/एवं/या ऑडिट-निरीक्षण आंतरिक अंकेक्षक पद से सेवानिवृत्त अधिकारी भी इस योजना में पात्र होंगे भले ही उनकी सेवा अनुभव की यह पात्रता अवधि 2 वर्ष ही हो ।

5) भूतपूर्व अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य अंशकालिक कार्य में संलग्न हैं वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। किन्तु उन्हें बैंक द्वारा सौंपे गए कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय में पूर्ण करना होगा ।

6) गोपनीयता संबंधी शपथ पत्र एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

<u>अन्य नियम एवं शर्ते</u>

1) सूचीबद्ध अधिकारियों को प्रारंभिक तौर पर 1 वर्ष की अवधि हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा, किन्तु 6 माह अवधि पर समीक्षा की जावेगी और समीक्षा पर आगामी 6 माह हेतु Extend किया जावेगा।

2) सूचीबद्ध होने को किसी भी उद्देश्य के लिये पुनः नियोजन नही माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाए निम्नलिखित कारणों से सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है -

   अ) यदि वे सौंपे गए कार्य को सम्पादित करने में असफल होते हैं या सौंपे गए कार्य के निष्पादन का स्तर संतोषजनक नही हो या प्रायः विलंब होता हो ।

   ब) ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के विषय पर कुछ संदेह उत्पन्न होता है ।

3) सेवानिवृत्त अधिकारी को नियोजन हेतु वचन पत्र/शपथ पत्र देना होगा। इसमें गोपनीयता एवं बैंक हित संरक्षण संबंधी, निकट संबंधियों की जानकारी आदि के प्रावधान भी होंगे।

--2--

Chhattisgarh Rajya Gramin Bank
Head Office, Raipur

4) समवर्ती लेखा परीक्षण/नॉन कोर बिजनेस (बी.सी. सुपरवाईजर/एन.पी.ए. सुपरवाईजर, फैकल्टी मेम्बर) कार्य के लिये मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	प्रस्तावित मानदेय
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 35,000/-
2	अधिकारी वर्ग-IV	₹ 40,000/-

5) **यदि सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा 50 कि.मी. या अधिक की दूरी बैंकिंग कार्य के उद्देश्य से किया जाता है तो उन्हें उनके ग्रेड (सेवानिवृत्ति के समय का ग्रेड) के समतुल्य हॉल्टिंग एवं लॉजिंग की पात्रता होगी। निःशुल्क लॉजिंग अथवा लॉजिंग प्रभार की प्रतिपूर्ति की स्थिति में विराम भत्ता पूर्ण न देकर 3/4 का भुगतान किया जाएगा।**

6) **स्थानीय कार्यालय/ मुख्यालय (सीमा क्षेत्र के अधीन स्थित शाखायें) के अधीन स्थित शाखाओं का अंकेक्षण कार्य किए जाने पर किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगें ।**

7) **सेवानिवृत्त अधिकारियों के यात्रा/विराम भत्ता - ऐसे सेवानिवृत्त सेवायुक्त जिस स्केल से सेवानिवृत्त हुए हैं, उस स्केल के लिए वर्तमान में लागू यात्रा/विराम भत्ता की दर या उनके द्वारा शाखा भ्रमण पर होने वाले वास्तविक खर्च की राशि, इन दोनों में जो भी कम हो वह राशि यात्रा/विराम भत्ता के भुगतान हेतु देय होगी।**

8) सूचीबद्ध सेवानिवृत्त अधिकारियों को माह में एक दिन अवकाश लेने की पात्रता होगी। (अवकाश वाले दिन को छोड़कर)।

9) सूचीबद्ध अधिकारियों के कार्य निष्पादन की सतत अनुश्रवण/समीक्षा की जावेगी। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने/प्रस्तुत प्रतिवेदन वांछित गुणवत्ता युक्त न पाए जाने पर उन अधिकारियों को भविष्य में कार्य नहीं सौंपे जायेंगे।

10) सूची में शामिल हो जाने मात्र से सेवानिवृत्त अधिकारी काम पाने का अधिकारी नहीं होगा। कार्य का आबंटन बैंक के विवेक पर निर्भर होगा।

11) सेवानिवृत्त अधिकारी अपने देयक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा देयक की जांच कर पात्रतानुसार राशि व्यय खाते को नामें कर संबंधित अधिकारी के खाते में जमा की जायेगी। इसमें नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी। क्षेत्रीय कार्यालय नियंत्रण हेतु मासिक रिपोर्ट प्रधान कार्यालय प्रेषित करेंगे।

12) सेवानिवृत्त अधिकारियों को अन्य नियम एवं शर्तों के बिन्दु क्रमांक 4,5,6 एवं 7 में उल्लेखित दरों पर मानदेय एवं यात्रा/विराम भत्ता के अलावा कोई भुगतान नही किया जायेगा।

13) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमे वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा ।

Chhattisgarh Rajya Gramin Bank Head Office, Raipur

14) सूचीबद्ध अधिकारी बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नही कर सकेंगे ।

15) यद्यपि सूचीबद्ध अधिकारी की, बैंक के कंप्यूटर सिस्टम, कोर बैंकिंग प्लेटफार्म तक पहुंच नही होगी। तथापि वे शाखा प्रबंधक के सहयोग से अंकेक्षण हेतु आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकेंगे ।

16) सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध होने पर सुरक्षा निधि के रूप में रू 50000/- (रू पचास हजार मात्र) एस.टी.डी.आर के रूप में संयुक्त नाम से जमा करना होगा ।

17) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई कार्य है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

सेवानिवृत्त अधिकारियों को अपना आवेदन (संलग्न प्रारूप में) अपने फोटोग्राफ, डाक का पता, मोबाईल/लैंडलाईन नंबर और ई-मेल पता के साथ दिनांक 17/12/2022, सायं 5:30 pm तक जमा करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार नही किये जायेगें।

पत्राचार का पता निम्नानुसार है :-

महाप्रबंधक (प्रशासन)
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय रायपुर,
महादेवघाट सुंदरनगर रोड़,
रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष नं.- 07714388806
ई-मेल आईडी – hr.ho@cgbank.in, cgb.personnel@gmail.com,

Chhattisgarh Rajya Gramin Bank
Head Office, Raipur

प्रति,

महाप्रबंधक (प्रशासन)
छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

फोटो

महोदय,

बैंक में विविध कार्य हेतु सूचीबद्ध करने बाबत आवेदन विषयक

क्र	विवरण	आवेदक द्वारा भरा जावेगा		
1	नाम / पिता का नाम			
2	जन्म तिथि		उम्र	
3	पी.एफ. क्रमांक			
4	वर्तमान निवास स्थान एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता			
5	मोबाईल नं लेंड लाईन नं			
6	ई-मेल आई डी			
7	अ) शैक्षणिक योग्यता ब) JAIIB/CAIIB position			
8	बैंक से सेवानिवृति तिथि/स्थान कौन सी शाखा से			
9	सेवानिवृत्ति के समय का पद/स्केल			
10	सेवानिवृत्ति के पूर्व की तीन पदस्थी का विवरण तिथि सहित	1) 2) 3)		
11	ऋण/ऑडिट/एन.पी.ए अनुवर्तन का अनुभव (जगह कम होने पर आवेदक चाहे तो अलग से कागज में पूर्ण विवरण के साथ संलग्न कर सकते है)			
12	सूचीबद्ध होने के लिये इच्छुक क्षेत्रीय कार्यालय			
13	वर्तमान में यदि कहीं कार्य कर रहे है तो उसका विवरण			
14	सेवाकाल के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है तो उसका पूर्ण विवरण देवें			
15	संलग्न किये गये KYC का विवरण			
16	अन्य विवरण			

मै घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी सत्य है, यदि असत्य पाये जाने पर मेरी पात्रता निरस्त मानी जावे ।

स्थान -

दिनांक -

सेवानिवृत्त अधिकारी का हस्ताक्षर